कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सलूम्बर, जिला सलूम्बर

र्थी श्री कालु व अन्य — **विपक्षी** सरकार

स्म मुकदमा धारा–212 राज. काश्त. अधिनियम — **प्रकरण संख्या** 19/2021

कार्यवाही विवरण

–::निर्णय::–

दिनांकः– 13/01/25

उपस्थितः श्री महेश कुमार जोशी अधिवक्ता – प्रार्थीगण
श्री राजकुमार जैन अधिवक्ता – विपक्षीगण

प्रार्थीगण द्वारा आदेश 39 नियम 1, 2 व धारा 151 सी.पी.सी. व धारा 212 राज. काश्त. अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पेश कर अंकित किया कि मौजा दुदर तहसील सलूम्बर में प्रार्थीगण के पिता रतना के नाम पर खाता राजस्व रिकॉर्ड में खरीदशुदा कृषि भूमि जिसके साबिक आराजी नम्बर 264, 266/5 किता 2 कुल रकबा 4 बिघा 10 बिस्वा स्थित है। उक्त भूमि प्रार्थीगण के पिता श्री रतना पिता परथा मीणा निवासी रघुनाथपुरा ने रूपा पिता वेसा जी मीणा निवासी दुदर से दिनांक 15–02–1985 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय की तथा विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरण संख्या 345 से खातेदारी अधिकार प्रार्थीगण के पिता के नाम दर्ज किया एवं नामान्तरण संख्या 350 से प्रार्थीगण के पिता के नाम उक्त जमीन राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की तब से लेकर आज दिनांक तक उक्त जमीन प्रार्थीगण के पिता एवं उनकी मृत्यु के बाद प्रार्थीगण का बेरोकटोक कब्जा काश्त चला आ रहा है।
सेटलमेन्ट के बाद साबिक आराजी नम्बर 264, 266/5 रकबा साढे चार बिघा बने हाल आराजी नम्बर 1245 रकबा 0.44 हैक्टेय, 1246 रकबा 0.44 हैक्टेयर भूमि राजस्व विभाग के कर्मचारियो एवं अधिकारीयों द्वारा प्रार्थीगण के पिता द्वारा खरीदशुदा जमीन को बिलानाम काबिल काश्त राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर दी। जिसे राजस्व कर्मचारियो द्वारा राजकीय सरकारी भवनों हेतु राजस्व रिकॉर्ड में आरक्षित कर दी है जो वर्तमान जमाबंदी में उक्त राजकीय सरकारी भवन हेतु आरक्षित दर्ज हुई है। सेटलमेन्ट अधिकारीयों की गलती से प्रार्थीगण के पिता के खातेदारी भूमि जिसके वर्तमान आराजी नम्बर 1245 रकबा 0.44 व 1246 रकबा 0.44 है. भूमि बिलानाम दर्ज हो जिसे राजकीय भवनों हेतु आरक्षित किये जाने की जानकारी प्रार्थीगण को होते ही इन्द्राज दुरूस्ती के वाद के साथ यह अस्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश किया है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि विपक्षीगण के विरूद्ध मौके एवं राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश फरमावे।

प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षीगण की ओर अधिवक्ता श्री हाजिर आये। पेरोकार सरकार तहसीलदार सलूम्बर ने जवाब पेश कर अंकित किया कि सेटलमेन्ट मे बिलानाम हो गई परन्तु वर्तमान में प्रार्थना पत्र मे वर्णित भूमि राजकीय भवन हेतु आरक्षित है अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

पत्रावली मे उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की बहस अपने प्रार्थना पत्र एवं जवाब अनुसार रही।

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सलूम्बर, जिला

प्रार्थी श्री कालु व अन्य
विपक्षी सरकार
किस्म मुकदमा धारा–212 राज. काश्त. अधिनियम
प्रकरण संख्या 19/2021

	कार्यवाही विवरण
	बहस मनन की गई। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/रिकॉर्ड का अवलोकन किया। मौजा दुदर पटवार हल्का धारोद जमाबंदी संवत् 2075 से 2078 आराजी नम्बर 1245, 1246 कुल किता 02 कुल रकबा 0.88 हैक्टेयर भूमि राजस्व जमाबंदी मे राजकीय भवनो हेतु आरक्षित होकर दर्ज अंकित है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन मे अन्य तर्क दिये है जो अभी प्रार्थीगण के पक्ष मे साबित नही है जिसका निर्धारण समूचित साक्ष्य के उपरान्त मूलवाद मे गुणावगुन के आधार पर किया जाना है। अतः प्रथम दृष्टया मामल एवं सुविधा सन्तुलन एवं अपूर्णियक्षति के बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष मे उचित प्रतीत नही होता है। –::आदेश::– अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1, 2 सपठित धारा 151 जा.दि. एवं धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का साबित नही पाये जाने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय दिनांक 13/01/25 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया। (पर्वत सिंह चुण्डावत) उपखण्ड अधिकारी सलुम्बर सहायक कलक्टर सलूम्बर जिला सलूम्बर